



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 95/2017 धारा-302 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण अभियुक्त रामलखन सिंह पुत्र राजा सिंह नि० रूरीपारा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री मणिकर्ण
शुक्ला



विवेचक-
निरी० श्री मनोज
कुमार शुक्ला



पैरोकार- थाना ललपुरा
हेका० धर्मेन्द्र मिश्रा